Driving Mobility through Innovation since 1966

पंजीकृत कार्यालय

दि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

सर्वे नं. 102, वेताळ हिल, ऑफ पौड रोड,
कोथरुड, पुणे – 411 038
पी. ओ. बॉक्स नं. 832, पुणे – 411 004
टेल. नं.: +91 20-6762 1680
ईमेल आईडी: info@araiindia.com

होमोलोगेशन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एचटीसी)

प्लॉट नं. ई1/1,
एमआईडीसी चाकण फेज – III,
पुणे – 410 501, भारत
टेल. नं.: +91 2135-630 918 /
+91 2135-396 918

फोर्जिंग उद्योग प्रभाग (एफआईडी)

बी-16/1, एमआईडीसी, चाकण,
पुणे – 410 501, भारत
टेल. नं.: +91 2135-630 718 /
+91 2135-396 618

व्यवसाय पूछताछ के लिए:

संपर्क करें: +91 20-6762 1139/40/41/42/37

www.araiindia.com

आगंतुकों और ठेकेदारों के लिए सुरक्षा अनुदेश

दि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) में आपका स्वागत है

एआरएआई में आपके आगमन से पहले, कृपया नोट करें कि आपकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृपया अपने दौरे के दौरान सुरक्षित और सुखद अनुभव के लिए नीचे दिए गए सुरक्षा अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें:

- जूते पहनना अनिवार्य है। यदि आप शॉप फ्लोर या प्रयोगशाला क्षेत्र में जा रहे हैं, तो सुरक्षा जूते आवश्यक हैं।
- फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है।
- यदि आप परिसर में लैपटॉप/टैबलेट लेकर आ रहे हैं, तो कृपया उनके विवरण गेट पर घोषित करने के लिए तैयार रखें।
- किसी भी मशीनरी, वाहन, उपस्कर, पार्ट या सामग्री को न छूएँ।
- परिसर में अधिकतम गति सीमा 20 किमी/घंटा का पालन करें।
- परिसर के अंदर मदिरा सेवन, धूम्रपान, तंबाकू, नशीले पदार्थों का सेवन या लाना सख्त मना है।
- किसी भी प्रतिबंधित / सीमित क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास न करें।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति नहीं है। ड्राइविंग करते समय या सीढ़ियाँ चढ़ते/उतरते समय मोबाइल का उपयोग न करें।
- किसी भी दुर्घटना, घटना, या सुधार के अवसर को तुरंत संबंधित एआरएआई अधिकारी/ जिनसे मिलने आए हैं / सुरक्षा कर्मियों को सूचित करें।
- यदि आप सेवा या कार्य गतिविधि के लिए आ रहे हैं, तो कार्य करने की अनुमति प्रणाली का पालन करना आवश्यक है। कृपया अपने होस्ट से वर्क परमिट के बारे में जानकारी लें।
- विदेशी आगंतुकों को आगमन के पूर्व अपने पासपोर्ट और वीजा विवरण अपने होस्ट को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

आपातकालीन स्थिति में अनुपालन के लिए अनुदेश

- आपातकाल की स्थिति में प्लांट स्तर का वेवरिंग सायरन बजाया जाएगा।
- घबराएँ नहीं।
- जिस कार्य पर आप लगे हैं उसे सुरक्षित रूप से बंद करें या रोक दें।
- अपने निकटतम असेंबली पॉइंट पर जाएँ।
- आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का उपयोग न करें।
- परिसर में प्राथमिक चिकित्सा बक्से उपलब्ध हैं।
- आगंतुकों को संबंधित एआरएआई अधिकारी/ जिनसे मिलने आए हैं, उनके अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।
- आपातकाल समाप्त होने पर सायरन 60 सेकंड तक लगातार दो बार बजेगा।
- यदि कोई आपात स्थिति आपको दिखाई दे, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें:
  कोथरुड: 1000 (020-6762 1000)
  एचटीसी: #9 (02135-630918)
  एफआईडी: #8 (02135-396618)
  नजदीकी इंटरकॉम या मोबाइल फोन से।
  कॉल करते समय आपातकाल का स्थान और प्रकार स्पष्ट रूप से बताएं।

कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें

- परिसर में रहते समय हमेशा अपना पहचान पत्र या आगंतुक पास अपने पास रखें।
- कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर (पीपीई) की आवश्यकता होती है — कृपया उन्हें अवश्य पहनें।
- नेटवर्क या डाटा एक्सेस के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। कृपया पहले अपने संबंधित एआरएआई अधिकारी को सूचित करें।
- कृपया थूकें नहीं। परिसर में कूड़ा-कचरा न फैलाएं।
- उपयोग में न होने पर विद्युत उपकरण को बंद कर दें।
- आपातकालीन उपस्कर या आपात मार्गों को अवरुद्ध न करें।
- परिसर में चलते समय चल रहे वाहनों और क्रेन का ध्यान रखें।
- किसी भी लटके हुए भार के नीचे से न चलें और न ही खड़े रहें। हमेशा प्रतिबंधित क्षेत्रों/संचालनों से दूरी बनाए रखें।
- एआरएआई परिसर में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित है।
- आवश्यकता होने पर सुरक्षा कार्यालय में व्हीलचेयर उपलब्ध है।
- यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता लागू है। शिकायतों के लिए संपर्क करें: 020-6762 1591 या ईमेल करें: icc@araiindia.com
- परिसर में प्रवेश करने के साथ ही आगंतुक सुरक्षा और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए अपनी दी गई व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह और उपयोग के लिए सहमति प्रदान करता है।